

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(24)ग्रावि/नरेगा/ई-एफएमएस/11-12

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

9 JAN 2013


विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे भुगतान को ई-एफएमएस के द्वारा किये जाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भुगतान हेतु ई-एफएमएस व्यवस्था लागू की गई है। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे भुगतान को ई-एफएमएस से किए जाने हेतु निम्न कार्यवाही आपके स्तर से दिनांक 15.01.2012 तक आवश्यक रूप से सम्पादित कराए जाने का श्रम करावे :-

1. श्रमिकों के पोस्ट ऑफिस खातों का मिलान संबन्धित पोस्ट ऑफिस से किया जाकर सभी खातों को नरेगा सॉफ्ट पर Freeze किया जावे।
2. जिस तरह Bank AC's में IFSC CODE का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह Post office AC's के लिये EMO Station Code का प्रयोग किया जाना है, जो कि संबन्धित पोस्ट ऑफिस से व NREGA Soft में Drop Down में भी उपलब्ध होगा।
3. जिन पंचायत समितियों में DSC नहीं बनवाए गए हैं, उन पंचायत समितियों के Authorized Signatures के डिजीटल हस्ताक्षर तुरन्त जारी करवाये जावे।
4. पोस्ट ऑफिस खातों में भुगतान की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी पृथक से जारी की जायेगी।

भवदीय

  
(अमय-कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस